संख्या- 189 /2024 / 1089 /चार-2024-28(बजट)/12

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 28 मार्च, 2024

विषय:- जनपद आजमगढ़ में निर्मित हरिऔध कला केन्द्र के नये भवन के विद्युत बिल भुगतान की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5236/सं0नि0-6(30)/11-12 टी0सी0 दिनांक 20 मार्च, 2024 तथा जिलाधिकारी/ अध्यक्ष, जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद्, हरिऔध कला केन्द्र, आजमगढ़ के पत्र संख्या- 62/हरिऔध कला केन्द्र दिनांक 07 फरवरी, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. अवगत कराना है कि जनपद आजमगढ़ में निर्मित हरिऔध कला केन्द्र के नये भवन का निर्माण कार्य परियोजना पूर्ण होने के फलस्वरूप परियोजना का दिनांक 07.04.2023 को लोकार्पण तथा दिनांक 10.11.2023 को जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद, आजमगढ़ को हस्तान्तरण किये जाने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या- 153/2024/1033/चार-2024-28(बजट)/12 दिनांक 20 मार्च, 2024 द्वारा परियोजना हेतु रू0 2241.80 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष 05 प्रतिशत अवशेष धनराशि रू0 113.09 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए परियोजना हेतु सम्पूर्ण धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

3. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनपद आजमगढ़ में हरिऔध कला केन्द्र के नये भवन के लोकार्पण से हस्तान्तरण की अवधि के विद्युत बिल का भुगतान किये जाने हेतु रू0 11,16,574.00 (रू0 ग्यारह लाख सोलह हजार पांच सौ चौहत्तर मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत धनराशि संबंधित कार्यदायी संस्था – कांस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम को उनके बैंक खाते में उपलब्ध करायी जायेगी।
(2) शासनादेश संख्या- 153/2024/1033/चार-2024-28(बजट)/12 दिनांक 20 मार्च, 2024 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।
(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) निदेशक, संस्कृति निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था/ जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद, आजमगढ़ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था / जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद, आजमगढ़ का होगा।

4. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति-800-अन्य व्यय-08- आजमगढ़ में हरिऔध कला केन्द्र के भवन का निर्माण-24 वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रतिनिधिनित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संख्या - 189 / 2024 / 1089 (1) /चार-2024- 28(बजट)/12 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. जिलाधिकारी, आजमगढ़।
5. महाप्रबंधक (नि0-13) नोडल अधिकारी, सी0एंड डी0एस0 (उ0 प्र0 जल निगम) लखनऊ
6. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
7. निदेशक, सी0 एंड डी0 एस0 (उ0प्र0 जल निगम) लखनऊ।
8. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. परियोजना प्रबंधक, सी0एंड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, यूनिट आजमगढ़।
10. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।